दिनांक 23.06.2021 को अपर प्रधान मुख्य वन सरंक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी, सतपुड़ा भवन, भोपाल के प्रतिकक्ष में RFP निविदा के संबंध आयोजित की गयी प्री–बिड मीटिंग का कार्यवाही विवरण

म.प्र. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड द्वारा 12 गंतव्य स्थलों को निजी व्यवसासियों के माध्यम से संचालित किये जाने हेतु MP Tenders के माध्यम से RFP(Request For Proposal) जारी की गयी है, जिस हेतु निविदाकारों के प्रश्नों के निराकरण हेतु दिनांक 23.06.2021 को अपरान्ह 3:00 बजे अपर प्रधान मुख्य वन सरंक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी, सतपुड़ा भवन, भोपाल के प्रतिकक्ष प्री–बिड मीटिंग आयोजित की गयी जिसमें म.प्र.ईकोपर्यटन विकास बोर्ड की ओर से निम्नानुसार अधिकारी उपस्थित रहे :–

1. श्री सत्यानंद, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र.ईकोपर्यटन विकास बोर्ड, भोपाल
2. श्री पी.एस.चम्पावत, सलाहकार, म.प्र.ईकोपर्यटन विकास बोर्ड, भोपाल
3. श्री पंकज सिंह, सहायक महाप्रबंधक, म.प्र.ईकोपर्यटन विकास बोर्ड, भोपाल

इसके अतिरिक्त वीडियो कांफ्रेन्स के माध्यम से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्य वन संरक्षक एवं वनमण्डल अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि एवं 15 संभावित निविदाकार प्री–बिड मीटिंग में उपस्थित रहे :–

सर्व प्रथम प्री–बिड मीटिंग के पूर्व ई–मेल से प्राप्त प्रश्नों/शंकाओं का समधान दिनांक 23.06.2021 को अपरान्ह 3:00 से किया गया। साथ ही मीटिंग के दौरान प्राप्त सवालों के जवाब दिये गये।

प्री–बिड मीटिंग में संभावित निविदाकारों को दी गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है :–

1. सभी प्रकार के लायसेंस जैसे – फूड लायसेंस, पॉल्यूशन कंट्रोल लायसेंस, बार लायसेंस, निविदाकार को प्रचलित वैधानिक प्रक्रिया को अंगीकार करते हुए स्वयं ही प्राप्त करना होगा। क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा यथा संभव सहयोग प्रदान किया जावेगा।
2. ऐसे गंतव्य स्थल जहॉ पर पेयजल एवं अन्य कार्यो हेतु जल उपलब्ध नहीं है वहॉ जल आपूर्ति हेतु बोरवेल करवाये जाने की अनुमति जिला प्रशासन अथवा क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा दी जावेगी।
3. प्रसाधन व्यवस्था हेतु अस्थाई निर्माण की अनुमति क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा दी जावेगी।
4. वन वृत्त छतरपुर के वनमण्डल, टीकमगढ़ अन्तर्गत नोटघाट गंतव्य स्थल का कुल क्षेत्र RFP में 4.00 हेक्टेयर उल्लेखित है, जिसमें नर्सरी का क्षेत्र शामिल होना एक संभावित निविदाकार द्वारा बताया गया। परीक्षण करने पर वनमण्डलाधिकारी, टीकमगढ़ द्वारा बताया गया कि उक्त 4.00 हेक्टेयर क्षेत्र, जो ईकोपर्यटन गतिविधियों हेतु आरक्षित है, में नर्सरी का क्षेत्र शामिल नहीं है।

5. वन वृत्त भोपाल के वनमण्डल, रायसेन अन्तर्गत खरबई में स्थित जिपलाईन परियोजना का कुल क्षेत्र RFP में 15.00 हेक्टेयर कर दिया गया है व परिसर में स्थित विन्ध्या ढाबा को भी परियोजा में शामिल कर दिया गया है जो दिनांक 01.03.2022 से सफल निविदाकार को संचालन हेतु उपलब्ध हो जायेगा।
6. जिन गंतव्य स्थलों पर जल आधारित गतिविधियॉ/नौका चालन की सम्भावनायें हैं, ऐसे गंतव्य स्थलों पर निविदाकार को प्रचलित वैधानिक प्रक्रिया को अंगीकार करते हुए स्वयं ही सभी आवश्यक लायसेंस एवं स्वीकृति सक्षम अधिकारियों/विभाग से प्राप्त करनी होगी। क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा यथा संभव सहयोग प्रदान किया जावेगा।
7. सभी गंतव्य स्थलों हेतु धारण क्षमता (Carrying Capacity) के संबंध में अवगत कराया गया कि कैम्पिंग हेतु प्रत्येक केन्द्र पर अधिकतम 12x3=36 व्यक्ति प्रति रात्रि विश्राम कर सकेंगे। किसी क्षेत्र की धारण क्षमता प्राकृतिक कारणों से अधिक या कम हो सकेगी, जिसे स्थानीय सक्षम अधिकारी द्वारा परिवर्तित किया जा सकेगा।
8. जिन गंतव्य स्थलों पर चेनलिंक फेंसिंग अथवा किसी भी अन्य प्रकार की फेंसिंग नहीं है, उन स्थलों पर निविदाकार को स्वयं वनमण्डल अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ईकोफ्रेंडली फेंसिंग कार्य कराना होगा।
9. सभी गंतव्य स्थलों का प्रचार–प्रसार (Marketing) सफल निविदाकार द्वारा किया जायेगा। म.प्र. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड अपने स्तर पर भी यथासंभव प्रचार–प्रसार करेगा।
10. सभी गंतव्य स्थलों के Geo-Coordinates अथवा Google Link RFP में उपलब्ध है। सुलभ संदर्भ हेतु बोर्ड की वेबसाईट पर भी गंतव्य स्थलों की Google Link उपलब्ध करायी जा रही है।

अन्त में सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुये बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

24/6/21	24/6/21	24.06.21
(पंकज सिंह)	(पी.एस.चम्पावत)	(सत्यानंद)भा.व.से.
सहायक महाप्रबंधक,	सलाहकार,	मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
म.प्र.ईकोपर्यटन विकास बोर्ड,	म.प्र.ईकोपर्यटन विकास बोर्ड,	म.प्र.ईकोपर्यटन विकास बोर्ड,
भोपाल	भोपाल	भोपाल